



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2009]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2017/आषाढ़ 28, 1939

No. 2009]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2017/ASADHA 28, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2017

(आयकर)

का.आ. 2259(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पूर्व में हो चुके अथवा इसके दौरान होने वाले मामलों को छोड़कर, निम्नलिखित अधिसूचनाओं को नीचे दी गई आदेश सं. के माध्यम से रद्द करता है, यथा:-

- (i) का.आ. 1614(अ) दिनांक 26 सितम्बर, 2006 जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 26 सितम्बर, 2006 में प्रकाशित किया गया;
 - (ii) का.आ. 2024(अ) दिनांक 30 नवंबर, 2007 जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 30 नवंबर, 2007 में प्रकाशित किया गया; और
 - (iii) का.आ. 3250(अ) दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 में प्रकाशित किया गया;
2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[अधिसूचना संख्या 63/2017/ फा.सं.189/1/2017-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक